

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2013.

INCOME-TAX

S. O. (E) :- Whereas a Protocol (hereinafter referred to as the said Protocol) amending the convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Sweden for the avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on Income and on Capital, which was signed at New Delhi on the 24th June, 1997, was signed on the 7th February, 2013 in Stockholm ;

And whereas, the date of entry into force of the said Protocol is the 16th day of August, 2013, being the thirtieth day after the receipt of the later of the notifications of the completion of the procedures required by the respective laws for the entry into force of this Protocol, in accordance with Paragraph 2 of Article 3 of the said Protocol ;

And whereas, Paragraph 2 of Article 3 of the said Protocol provides that the Amending Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the later of the notifications and shall thereupon have effect forthwith ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Protocol, as set out in the Annexure hereto, shall be given effect to in the Union of India with effect from the 16th August, 2013.

[Notification No. 63/2013 F.No.505/02/1981-FTD-I]



Akhilesh Ranjan, Joint Secretary

ANNEXURE

Se Ajay
L

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड -3, उप खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2013

आयकर

का.आ.----(अ).- जबकि, आय पर तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और स्वीडन साम्राज्य की सरकार के बीच अभिसमय को संशोधित करने वाले प्रोटोकोल (इसके पश्चात उक्त प्रोटोकोल के रूप में संदर्भित), जिस पर 24 जून, 1997 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे, पर 07 फरवरी, 2013 को स्टाकहोम में हस्ताक्षर किए गए;


और जबकि, उक्त प्रोटोकोल के प्रवृत्त होने की तारीख अगस्त, 2013 का 16वां दिन है, जो कि उक्त प्रोटोकोल के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 2 के अनुसार, इस करार को लागू करने के लिए सभी कानूनी जरूरतों तथा प्रक्रियाओं की संतुष्टि के बाद अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना प्राप्ति के बाद का 30वां दिन है;

और जबकि, उक्त प्रोटोकोल के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 2 में प्रावधान है कि संशोधनकारी प्रोटोकोल, अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की प्राप्ति के बाद 30वें दिन लागू होगा तथा उसके बाद तुरंत प्रभावी होगा;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न उक्त प्रोटोकोल के सभी उपबंध भारत संघ में दिनांक 16 अगस्त, 2013 से लागू होंगे।

[अधिसूचना सं. 63/2013

फा.सं. 505/02/1981-एफटीडी-1]



अखिलेश रंजन, संयुक्त सचिव

अनुबंध

PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL, WHICH WAS SIGNED AT NEW DELHI ON 24TH JUNE 1997.

The Government of the Republic of India
and
the Government of the Kingdom of Sweden;

Desiring to conclude a Protocol (hereinafter referred to as "Amending Protocol") to amend the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Sweden for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital, which was signed at New Delhi on 24th June, 1997 and which entered into force on 25th December, 1997 (hereinafter referred to as "the Convention");

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Article 27 (Exchange of Information) of the Convention shall be deleted and replaced by the following Article:

"Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
 - a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
 - c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject

to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

ARTICLE 2

The following new paragraph shall be added to the Protocol to the Convention after the paragraph titled "*With reference to Article 25.*"

"With reference to Article 27:

1. A Contracting State may allow representatives of the competent authority of the other Contracting State to enter the territory of the first-mentioned Contracting State to interview individuals and examine records with the written consent of the persons concerned. The competent authority of the second-mentioned Contracting State shall notify the competent authority of the first-mentioned Contracting State of the time and place of the meeting with the individuals concerned.

2. At the request of the competent authority of one Contracting State, the competent authority of the other Contracting State may allow representatives of the competent authority of the first-mentioned Contracting State to be present at the appropriate part of a tax examination in the second-mentioned Contracting State.

3. If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent authority of the Contracting State conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the other Contracting State about the time and place of the examination, the authority or official designated to

carry out the examination and the procedures and conditions required by the first-mentioned Contracting State for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Contracting State conducting the examination."

ARTICLE 3

1. Each of the Contracting States shall notify the other, in writing, of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Amending Protocol.

2. This Amending Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the later of these notifications and thereupon have effect forthwith.

3. This Amending Protocol shall remain in effect as long as the Convention remains in effect.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Amending Protocol.

Done in duplicate at Stockholm this 7th day of ^{Feb,} 2013 in the Hindi, Swedish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence between the texts, the English text shall be the operative one.

For the Government of the
Republic of India:



(Smt. Banashri Bose Harrison)
Indian Ambassador to Sweden

For the Government of the
Kingdom of Sweden:



(Mr. Anders Borg)
Minister of Finance

प्रोतोकल

आय पर और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और स्वीडन किंगडम की सरकार के बीच अभिसमय को संशोधित करता है, पर 24 जून, 1997 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे

भारत गणराज्य की सरकार

और

स्वीडन किंगडम की सरकार

आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और स्वीडन किंगडम की सरकार के बीच अभिसमय, जिस पर 24 जून, 1997 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे और जो 25 दिसम्बर, 1997 (जिसका इसके बाद "अभिसमय" के रूप में उल्लेख किया गया है) को लागू किया गया था, को संशोधित करने के लिए एक प्रोतोकल (जिसका इसके बाद "संशोधनकारी प्रोतोकल" के रूप में उल्लेख किया गया है) निष्पन्न करने की इच्छा से,

निम्नानुसार सहमत हुए हैं :

ASB

अनुच्छेद 1

अभिसमय के अनुच्छेद 27 (सूचना का आदान-प्रदान) को हटाया जाएगा और निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"अनुच्छेद 27

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन को लागू करने के लिए आवश्यक हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस अभिसमय के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. पैराग्राफ 1 के अंतर्गत संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई किसी सूचना को उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना के समान ही गुप्त समझा जाएगा और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों का निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। पूर्ववर्ती पैराग्राफों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना को दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है जब ऐसी सूचना को दोनों राज्यों के कानूनों के अंतर्गत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाए और आपूर्तिकर्ता राज्य का सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को अधिकृत करे।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

- क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;
- ख) ऐसी सूचना की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- ग) ऐसी सूचना की आपूर्ति करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आईर पब्लिक) ।

4. इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई सूचना को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो । पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने की अनुमति देना नहीं होगा क्योंकि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है ।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने की अनुमति देना नहीं होगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है ।”

अनुच्छेद 2

निम्नलिखित नये पैराग्राफ करे पैराग्राफ शीर्षक "अनुच्छेद 25 के संदर्भ में" के बाद अभिसमय के प्रोटोकॉल में शामिल किया जाएगा -

"अनुच्छेद 27 के संदर्भ में :

1. एक संविदाकारी राज्य दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के राज्यक्षेत्र में व्यक्तियों के साक्षात्कार लेने और संबंधित व्यक्तियों की लिखित सहमति से रिकॉर्डों की जांच करने के लिए प्रवेश की अनुमति दे सकता है । द्वितियोल्लिखित संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को संबंधित व्यक्तियों के साथ मीटिंग के समय एवं स्थान के बारे में अधिसूचित करेगा ।
2. एक संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को द्वितियोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कर जांच के उपयुक्त भाग उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है ।
3. यदि पैराग्राफ 2 में उल्लिखित अनुरोध को स्वीकार किया जाता है, तो जांच करने वाले संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी शीघ्रतिशीघ्र दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को जांच के समय एवं स्थान, जांच को पूरा करने के लिए नामोदिष्ट प्राधिकारी अथवा अधिकारी तथा जांच संचालित करने के लिए प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं एवं शर्तों के बारे में अधिसूचित करेगा । कर जांच संचालित करने के संबंध में सभी निर्णय जांच संचालित करने वाले संविदाकारी राज्य द्वारा किए जाएंगे ।"

ASH

अनुच्छेद 3


1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अपने कानून के तहत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में लिखित में दूसरे संविदाकारी राज्य को अधिसूचित करेगा ।
2. यह संशोधनकारी प्रोटोकॉल इन अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की प्राप्ति के बाद तीसरे दिन प्रवृत्त होगा और तुरन्त प्रभावी होगा ।
3. यह संशोधनकारी प्रोटोकॉल अभिसमय के लागू रहने तक प्रभावी रहेगा ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं ।

स्टॉकहोम में वर्ष दो हजार तेरह के फरवरी माह के सातवें दिन हिन्दी, रवीडिश एवं अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की

सरकार की ओर से




(श्रीमती बन्श्री बोस हैरिसन)

स्वीडन में भारतीय राजदूत

स्वीडन किंगडम की

सरकार की ओर से



(श्री एण्डर्स बोर्ग)

वित्त मंत्री